


सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत 1.) रुकमणी कुमारी पिता-रतन गंडू , 2.) राजेश कुमार एवं 3.) सुनील कुमार दोनों के पिता- रतन गंडू; ग्राम- आरा , थाना: बालुमाथ जिला : लातेहार (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 अधिनियम के तहत ग्राम- आरा , थाना सं० 55 (रैयती भूमि) खाता सं० - 19 के अधीन प्लॉट सं०-43, 49, 69, 92, 105, 119, 122, 283, 1085; कुल रकबा: -6.00 एकड़ (रैयती भूमि) के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया है।

अगर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_lnd.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से दस दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व) एवं क्षेत्रीय महाप्रबंधक (मगध-संघमित्रा), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर दस दिनों के अंदर उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि उपरोक्त रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

दिनांक
4/1/24


04/01/2024
Sr. Mgr. (Min.) / Empl